

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग लखनऊ

संख्या-डीजी-चार-101(51)2018/94

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 13 2018

आदेश

निरीक्षक ना०पु० विजयवीर सिंह (पीएनओ नं०-840900036) के विरुद्ध थाना मेडिकल जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु०अ०स०-259/2018 धारा-3, 4, 5, 7, व 8 अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम-1956(सिट अधिनियम पुनर्निर्मित) के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत होने एवं मौके से गिरफ्तार होने के फलस्वरूप निलम्बन की अवस्था में पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-05-2018 द्वारा भ्र०नि०सं० से लखनऊ परिक्षेत्र सम्बद्ध किया गया था।

पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के आदेश संख्या-डी-2-6/2018(एसीओ) दिनांक 03-08-2018 द्वारा उक्त निरीक्षक को निलम्बन से बहाल किये जाने के फलस्वरूप इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-05-2018 द्वारा निरीक्षक विजय वीर सिंह की भ्र०नि०सं० से लखनऊ परिक्षेत्र की गयी सम्बद्धता तत्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुये अब उक्त निरीक्षक को पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन से वाराणसी जोन तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त निरीक्षक का गृह जनपद बुलन्दशहर एवं जन्मतिथि 09-05-1959 है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: डीजी-चार-101(51)/2018, दिनांक: 09.08.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



(अनिल-कुमार)
पुलिस उपाधीक्षक(स्थापना)
कृते-अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना)
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त निरीक्षक को वाराणसी जोन स्थानान्तरण पर आजही कार्यमुक्त करते हुये कार्यमुक्त के दिनांक से इस मुख्यालय सहित सर्वसंबंधित को अवगत कराने की कृपा करें।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3.पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

संख्या-डीजी-चार-101(102)2018/95

1-तिलकमार्ग लखनऊ

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 13 2018

आदेश

निरीक्षक नागरिक पुलिस दुष्यन्त कुमार पीएनओनं0- 962490169 के जनपद कासगंज में थाना पटियाली पर नियुक्ति के दौरान अवैध बालू खनन माफिया से मोबाइल पर हुयी वार्ता की आडियो वायरल होने तथा निरीक्षक द्वारा आगरा परिक्षेत्र का 12 वर्ष निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त निरीक्षक ना0पु0 दुष्यन्त कुमार पीएनओनं0-962490169 को प्रशासनिक आधार पर जनपद कासगंज से वाराणसी जोन तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त निरीक्षक का गृह जनपद बुलन्दशहर एवं जन्मतिथि-16.09.1970 है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: डीजी-चार-101(102)/2018, दिनांक: 09.08.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



PEB-101(102)/2018 DTD 13-08-2018

(अनिल कुमार) 13/08/18

पुलिस उपाधीक्षक(स्थापना)

कृते-अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना)

उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक आगरा/वाराणसी जोन ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त निरीक्षक को स्थानान्तरण पर प्रस्थान हेतु आजही कार्यमुक्त करते हुये कार्यमुक्त की तिथि से इस मुख्यालय सहित सर्वसंबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।